

शिक्षा में समावेशन और समान अवसर: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में एक अध्ययन

डॉ अरविन्द कुमार पाण्डेय

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज, बाराबंकी,

Email: ap594522@gmail.com



Received 05 June 2026

Accepted 12 June 2026

Published 30 June 2026

Corresponding Author:

डॉ अरविन्द कुमार पाण्डेय

Email: ap594522@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.64880/pcjaict.v1i2.04>

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector.

Copyright: © 2026 The Author(s).



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

OPEN ACCESS

सारांश:

समावेशी एवं समानतामूलक शिक्षा लोकतांत्रिक समाज की आधारभूत आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा तक केवल औपचारिक पहुँच पर्याप्त नहीं है; प्रत्येक शिक्षार्थी को उसकी सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, भाषायी, भौगोलिक अथवा दिव्यांगता-संबंधी परिस्थितियों से परे गुणवत्तापूर्ण सीखने, सहभागिता और प्रगति के समान अवसर मिलना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षा में समावेशन और समान अवसर की अवधारणा, नीतिगत प्रावधानों, उपलब्ध प्रगति तथा प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करना है। अध्ययन वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक प्रकृति का है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, UDISE+ 2023-24, AISHE 2021-22 तथा शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नीति ने सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों, बालिकाओं, ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यकों, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समान अवसर को शिक्षा व्यवस्था का केंद्रीय सिद्धांत बनाया है। विद्यालयी स्तर पर 2023-24 में 24.80 करोड़ से अधिक नामांकन तथा 21.14 लाख CWSN विद्यार्थियों की उपस्थिति समावेशन के व्यापक दायरे को दर्शाती है, जबकि उच्च शिक्षा में 2021-22 का GER 28.4 और महिला GER 28.5 रहा। तथापि पहुँच, निरंतरता, अधिगम-गुणवत्ता, डिजिटल विभाजन, भौतिक सुगम्यता, भाषा और शिक्षक-तैयारी से जुड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। आलेख निष्कर्ष देता है कि वास्तविक समान अवसर के लिए 'एक जैसी व्यवस्था' के स्थान पर आवश्यकता-आधारित शैक्षिक समर्थन, संस्थागत उत्तरदायित्व और डेटा-आधारित सतत निगरानी आवश्यक है।

मुख्य शब्द: समावेशी शिक्षा, समान अवसर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सामाजिक न्याय, SEDGs, दिव्यांग विद्यार्थी, शैक्षिक समानता

1. प्रस्तावना

शिक्षा व्यक्ति की क्षमताओं के विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक सहभागिता और आर्थिक गतिशीलता का प्रमुख माध्यम है। परंतु शिक्षा की उपलब्धता और शिक्षा में वास्तविक समान अवसर एक ही बात नहीं हैं। विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाना तभी सार्थक है जब शिक्षार्थी वहाँ सुरक्षित महसूस करे, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके, आवश्यक

संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करे और सामाजिक पहचान अथवा आर्थिक स्थिति के कारण उसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भेदभाव न हो। इसी कारण समकालीन शिक्षा-विमर्श में 'access' के साथ 'participation', 'retention', 'learning' और 'success' को भी समावेशन के आवश्यक आयाम माना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) शिक्षा को न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के निर्माण का आधार मानती है। नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है जिसमें सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुँच प्राप्त हो। नीति 'full equity and inclusion' को सभी शैक्षिक निर्णयों का आधारभूत सिद्धांत घोषित करती है और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (Socio-Economically Disadvantaged Groups—SEDGs) पर विशेष ध्यान देती है (Ministry of Education, 2020)। इस दृष्टि से NEP 2020 केवल नामांकन बढ़ाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक असमानताओं को पहचानने और उन्हें कम करने का नीतिगत प्रयास है।

भारत की सामाजिक विविधता समावेशी शिक्षा को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। जाति, जनजातीय स्थिति, लिंग, भाषा, धर्म, आय, निवास-क्षेत्र, दिव्यांगता तथा परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि जैसे कारक अवसरों को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारकों का प्रभाव कई बार परस्पर जुड़ा होता है; उदाहरणतः दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की एक दिव्यांग बालिका की शैक्षिक आवश्यकताएँ शहरी क्षेत्र के संसाधन-संपन्न विद्यार्थी से भिन्न होंगी। इसलिए समान अवसर का अर्थ सबको बिल्कुल समान संसाधन देना नहीं, बल्कि ऐसी न्यायपूर्ण सहायता उपलब्ध कराना है जिससे अलग-अलग प्रारंभिक स्थितियों वाले विद्यार्थी शिक्षा में सार्थक रूप से भाग ले सकें।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व

NEP 2020 के कार्यान्वयन के बाद समावेशन से जुड़े प्रावधानों को केवल नीतिगत घोषणाओं के रूप में देखने के बजाय उपलब्ध आधिकारिक आँकड़ों के साथ समझना आवश्यक है। UDISE+ विद्यालयी शिक्षा के नामांकन, विद्यालयों, शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक समूहों की स्थिति का राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण स्रोत है, जबकि AISHE उच्च शिक्षा में भागीदारी की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है। इन स्रोतों का संयुक्त अध्ययन यह समझने में सहायता करता है कि समावेशन की नीति किस व्यापक जनसंख्या को संबोधित कर रही है और किन क्षेत्रों में अभी विशेष प्रयास आवश्यक हैं।

यह अध्ययन शिक्षक-शिक्षा के लिए भी प्रासंगिक है। समावेशन का वास्तविक क्रियान्वयन कक्षा में होता है, जहाँ शिक्षक भाषा, मूल्यांकन, पाठ्य-सामग्री, सहभागिता, सहपाठी संबंध, तकनीक और व्यक्तिगत सहायता के माध्यम से अवसरों को बढ़ा या सीमित कर सकता है। अतः समावेशी नीति की सफलता शिक्षक की संवेदनशीलता, व्यावसायिक दक्षता और संस्थागत सहयोग से गहराई से जुड़ी है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशन और समान अवसर की अवधारणा का विश्लेषण करना।
- सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए नीति में प्रस्तावित प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन करना।
- UDISE+ 2023-24 और AISHE 2021-22 के आधिकारिक आँकड़ों के आधार पर समावेशन से संबंधित चयनित संकेतकों का विश्लेषण करना।
- समावेशी एवं समानतामूलक शिक्षा के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।
- विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा में वास्तविक समान अवसर को सुदृढ़ करने हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का दस्तावेज-आधारित अध्ययन है। प्राथमिक नीतिगत स्रोत के रूप में भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उपयोग किया गया है। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए शिक्षा मंत्रालय के UDISE+ 2023-24 (NEP Structure) तथा All India Survey on Higher Education (AISHE) 2021-22 के आधिकारिक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय द्वारा समावेशी

शिक्षा, Gender Inclusion Fund तथा NEP कार्यान्वयन से संबंधित आधिकारिक सामग्री का संदर्भ लिया गया है। अध्ययन में प्रयुक्त संख्याएँ उन्हीं रिपोर्टों में प्रकाशित राष्ट्रीय स्तर के आँकड़ों पर आधारित हैं; इसलिए उन्हें किसी छोटे नमूने के सर्वेक्षण के निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि उपलब्ध प्रशासनिक/सर्वेक्षणीय संकेतकों के रूप में समझा जाना चाहिए।

5. समावेशन और समान अवसर: अवधारणात्मक आधार

समावेशन (Inclusion) का मूल भाव यह है कि शिक्षा व्यवस्था शिक्षार्थी को व्यवस्था के अनुरूप ढालने के बजाय शिक्षार्थियों की विविधता के अनुरूप स्वयं को लचीला बनाए। इसका अर्थ है कि सामान्य विद्यालय, कक्षा और उच्च शिक्षण संस्थान विविध क्षमताओं, भाषाओं, सामाजिक पृष्ठभूमियों और सीखने की आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए स्वागतपूर्ण और सुगम हों। समावेशन केवल दिव्यांगता से संबंधित अवधारणा नहीं है; इसमें गरीबी, जाति, जनजातीयता, लिंग, भौगोलिक दूरी, प्रवास, भाषा, अल्पसंख्यक स्थिति तथा अन्य सामाजिक बाधाएँ भी शामिल हैं।

‘समान अवसर’ (Equality of Opportunity) का अर्थ है कि व्यक्ति की प्रगति ऐसी बाधाओं से अनावश्यक रूप से सीमित न हो जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं। शैक्षिक संदर्भ में समानता (equality) और समता (equity) में सूक्ष्म अंतर है। समानता सभी को एक जैसी सुविधा देने पर बल दे सकती है, जबकि समता अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त सहायता देने को उचित मानती है। उदाहरण के लिए, सभी विद्यार्थियों को समान पाठ्यपुस्तक देना समानता है; दृष्टिबाधित विद्यार्थी को सुलभ डिजिटल/ब्रेल सामग्री और आवश्यक सहायक तकनीक देना समता है। समावेशन का लक्ष्य दोनों को जोड़कर सहभागिता और सीखने की वास्तविक क्षमता विकसित करना है।

चित्र 1. समावेशी एवं समानतामूलक शिक्षा का अवधारणात्मक ढाँचा

विविधता की पहचान	बाधाओं की पहचान	आवश्यकता-आधारित समर्थन
लैंगिक, सामाजिक, भाषायी, आर्थिक, भौगोलिक, दिव्यांगता	प्रवेश, भेदभाव, भाषा, डिजिटल अंतर, अवसंरचना	छात्रवृत्ति, सुलभता, लचीली शिक्षण-विधि, तकनीक
समान पहुँच	सार्वजनिक सहभागिता	सीखने एवं प्रगति में समान अवसर

स्रोत: लेखक द्वारा NEP 2020 के समता एवं समावेशन संबंधी सिद्धांतों के आधार पर निर्मित अवधारणात्मक प्रस्तुति।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशन का दृष्टिकोण

NEP 2020 का समावेशन संबंधी दृष्टिकोण बहुस्तरीय है। नीति एक ओर सार्वभौमिक पहुँच, आधारभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान, विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की वापसी, बहुभाषिकता और लचीले अधिगम मार्गों पर बल देती है; दूसरी ओर उन समूहों की पहचान करती है जिनके लिए ऐतिहासिक अथवा संरचनात्मक कारणों से शिक्षा में भागीदारी कठिन रही है। नीति SEDGs के अंतर्गत लैंगिक पहचान, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक पहचान, दिव्यांगता और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से जुड़े वंचित समूहों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की बात करती है (Ministry of Education, 2020)।

नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि समावेशन को अलग कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के मूल सिद्धांत के रूप में रखा गया है। अच्छे शैक्षिक संस्थान की कल्पना ऐसे स्थान के रूप में की गई है जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं को स्वागतयोग्य और सुरक्षित महसूस करे, गुणवत्तापूर्ण अधिगम अनुभव प्राप्त करे और उपयुक्त संसाधनों तक पहुँच सके। तकनीक को भाषा संबंधी बाधाएँ कम करने, दिव्यांग विद्यार्थियों की पहुँच बढ़ाने तथा शिक्षण-अधिगम को अधिक लचीला बनाने के साधन के रूप में भी देखा गया है।

7. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह (SEDGs)

NEP 2020 की विशिष्टता यह है कि यह वंचना को एकरूप नहीं मानती। किसी विद्यार्थी के शैक्षिक अवसर पर एक से अधिक कारक एक साथ प्रभाव डाल सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक भेदभाव और भौगोलिक दूरी, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के

लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शैक्षिक लागत, भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए माध्यम और सामग्री, तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भौतिक एवं डिजिटल सुगम्यता अलग-अलग प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए नीति लक्षित हस्तक्षेपों, छात्रवृत्तियों, आवासीय सुविधाओं, परिवहन, स्थानीय भाषाओं, विशेष शिक्षा समर्थन और उपयुक्त तकनीक की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

विद्यालयी शिक्षा में UDISE+ 2023-24 के अनुसार Foundational से Secondary स्तर तक कुल नामांकन 24,80,45,828 था। इनमें 11,93,01,237 बालिकाएँ, 4,47,40,969 अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, 2,46,06,084 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी, 11,20,28,198 OBC विद्यार्थी तथा 21,14,110 Children with Special Needs (CWSN) दर्ज किए गए (Ministry of Education, 2024a)। ये आँकड़े दिखाते हैं कि समावेशी नीति का प्रश्न किसी सीमित समूह तक नहीं, बल्कि करोड़ों शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं से संबंधित है।

8. लैंगिक समावेशन और समान अवसर

लैंगिक समानता शिक्षा में अवसर की केंद्रीय शर्त है। NEP 2020 बालिकाओं और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों सहित लैंगिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष उपायों की परिकल्पना करती है। Gender Inclusion Fund का उद्देश्य राज्यों को ऐसे हस्तक्षेपों में सहायता देना है जो शिक्षा तक पहुँच, सुरक्षा और भागीदारी में लैंगिक बाधाओं को कम करें। शिक्षा मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में समान अवसर देने से जुड़ा है (Ministry of Education, 2023)।

उच्च शिक्षा में महिला भागीदारी के संदर्भ में AISHE 2021-22 एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। 18-23 आयु-वर्ग के लिए कुल GER 28.4 था, जबकि महिला GER 28.5 दर्ज किया गया, जो पुरुष GER से थोड़ा अधिक था। रिपोर्ट के अनुसार महिला GER लगातार पाँचवें वर्ष पुरुष GER से अधिक रहा। अनुसूचित जाति की महिला नामांकन संख्या 2021-22 में 31.71 लाख तथा अनुसूचित जनजाति की महिला नामांकन संख्या 13.46 लाख थी। 2017-18 से पाँच वर्षों में SC महिला नामांकन में 26.6 प्रतिशत और ST महिला नामांकन में 47.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई (Ministry of Education, 2024b)। यह प्रगति महत्वपूर्ण है, पर केवल नामांकन की समानता को पूर्ण लैंगिक समानता नहीं माना जा सकता; विषय-चयन, संस्थागत सुरक्षा, छात्रावास, डिजिटल पहुँच, आर्थिक निरंतरता और नेतृत्व में प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण हैं।

9. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशन का अर्थ केवल विद्यालय में प्रवेश नहीं, बल्कि बाधारहित परिसर, सुलभ शिक्षण-सामग्री, सहायक उपकरण, उपयुक्त मूल्यांकन, प्रशिक्षित शिक्षक और गरिमापूर्ण सहभागिता है। NEP 2020 तकनीक के माध्यम से Divyang विद्यार्थियों की पहुँच बढ़ाने तथा विशेष आवश्यकताओं के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने पर बल देती है। UDISE+ 2023-24 में 21.14 लाख CWSN विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज होना इस क्षेत्र की व्यापकता को दर्शाता है (Ministry of Education, 2024a)।

व्यावहारिक स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती 'उपस्थिति' को 'सार्थक अधिगम' में बदलना है। यदि भवन में रैम्प हो पर कक्षा-सामग्री सुलभ न हो, या सहायक तकनीक उपलब्ध हो पर शिक्षक उसका उपयोग न जानते हों, तो समावेशन अधूरा रह जाता है। इसलिए Universal Design for Learning, बहु-माध्यमीय सामग्री, वैकल्पिक मूल्यांकन, व्यक्तिगत सहायता और सहपाठी सहयोग को शिक्षक-शिक्षा में व्यवस्थित रूप से शामिल करना आवश्यक है।

10. भाषा, बहुभाषिकता और सांस्कृतिक समावेशन

भाषा शैक्षिक अवसर को गहराई से प्रभावित करती है। विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता और अनुभव करता है, उससे पूरी तरह भिन्न भाषा में प्रारंभिक शिक्षा मिलने पर समझ और सहभागिता प्रभावित हो सकती है। NEP 2020 बहुभाषिकता को भारत की शक्ति मानती है और जहाँ संभव हो वहाँ प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण तथा द्विभाषिक सामग्री विकसित करने पर बल देती है। यह प्रावधान विशेष रूप से ग्रामीण, जनजातीय और भाषायी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए समावेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

हालाँकि बहुभाषिकता का प्रभावी क्रियान्वयन पर्याप्त स्थानीय भाषा सामग्री, शिक्षक उपलब्धता और भाषायी संक्रमण की योजनाओं पर निर्भर करता है। भाषा को केवल माध्यम का प्रश्न मानने के बजाय सांस्कृतिक सम्मान, आत्मविश्वास और ज्ञान-निर्माण के प्रश्न के रूप में देखना होगा। समावेशी कक्षा विद्यार्थियों की घरेलू भाषा को कमी के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के संसाधन के रूप में स्वीकार करती है।

11. डिजिटल समावेशन और नई असमानताएँ

NEP 2020 तकनीक की क्षमता को स्वीकार करती है, पर डिजिटल शिक्षा अपने आप समान अवसर उत्पन्न नहीं करती। उपकरण, इंटरनेट, बिजली, डिजिटल कौशल, सुलभ सामग्री और परिवार में सीखने के लिए अनुकूल स्थान की उपलब्धता असमान हो सकती है। इसलिए डिजिटल संसाधनों का विस्तार 'technology access' के साथ 'meaningful use' की रणनीति से होना चाहिए। ऑफलाइन सामग्री, सामुदायिक डिजिटल केंद्र, संस्थागत उपकरण-बैंक, सुलभ प्लेटफॉर्म और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण इस दिशा में उपयोगी हो सकते हैं।

डिजिटल समावेशन का एक दूसरा पक्ष दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए accessibility है। स्क्रीन-रीडर अनुकूल दस्तावेज, captions, transcripts, keyboard navigation और उचित contrast जैसी विशेषताएँ डिजिटल सामग्री को अधिक समावेशी बनाती हैं। अतः डिजिटल शिक्षा को समावेशन का विकल्प नहीं, बल्कि सुविचारित ढंग से प्रयुक्त सहायक माध्यम माना जाना चाहिए।

12. विद्यालयी शिक्षा की स्थिति: UDISE+ 2023-24 से चयनित संकेतक

संकेतक	2023-24	समावेशन के संदर्भ में अर्थ
कुल विद्यालय	14,71,891	व्यापक संस्थागत नेटवर्क
कुल नामांकन	24,80,45,828	सार्वभौमिक पहुँच की विशाल चुनौती
बालिका नामांकन	11,93,01,237	लैंगिक सहभागिता का प्रमुख आधार
SC विद्यार्थी	4,47,40,969	लक्षित सामाजिक समता की आवश्यकता
ST विद्यार्थी	2,46,06,084	भौगोलिक व सांस्कृतिक समावेशन महत्वपूर्ण
CWSN विद्यार्थी	21,14,110	सुगम्यता और विशेष समर्थन की आवश्यकता
Secondary GER	66.5	माध्यमिक स्तर पर निरंतरता बढ़ाने की आवश्यकता

स्रोत: UDISE+ Report 2023-24, NEP Structure, Ministry of Education, Government of India.

तालिका से स्पष्ट है कि विद्यालयी शिक्षा का नेटवर्क और नामांकन दोनों अत्यंत व्यापक हैं, किंतु Secondary GER 66.5 यह संकेत देता है कि माध्यमिक स्तर तक पहुँच और निरंतरता को और मजबूत करने की आवश्यकता है। GER को सीधे 'गुणवत्ता' का संकेतक नहीं माना जाना चाहिए; यह मुख्यतः आयु-सापेक्ष भागीदारी का संकेत देता है। इसलिए समावेशन के मूल्यांकन में नामांकन के साथ उपस्थिति, संक्रमण, ड्रॉपआउट, सीखने के परिणाम और विद्यार्थी-अनुभव को भी शामिल करना चाहिए।

13. उच्च शिक्षा में समान अवसर: AISHE 2021-22

AISHE 2021-22 के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल छात्र नामांकन लगभग 4.33 करोड़ था। इसमें 15.3 प्रतिशत विद्यार्थी अनुसूचित जाति, 6.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 37.8 प्रतिशत OBC समुदाय से थे। कुल GER 28.4 था, जो 2014-15 के 23.7 से अधिक है। इसी अवधि में महिला GER 22.9 से बढ़कर 28.5 हुआ। SC नामांकन 2021-22 में 66.23 लाख तथा ST नामांकन 27.1 लाख था। ये आँकड़े भागीदारी में वृद्धि की दिशा दर्शाते हैं,

पर उच्च शिक्षा में समान अवसर के मूल्यांकन के लिए संस्थान की गुणवत्ता, विषय एवं कार्यक्रमों तक पहुँच, वित्तीय सहायता, पूर्णता दर और रोजगार/अनुसंधान अवसरों का भी विश्लेषण आवश्यक है (Ministry of Education, 2024b)।

NEP 2020 उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की आकांक्षा रखती है। यह लक्ष्य तभी समावेशी होगा जब विस्तार केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की उपलब्धता, छात्रवृत्ति, डिजिटल एवं भौतिक पहुँच, लचीले प्रवेश-निकास विकल्प और भेदभाव-मुक्त परिसर संस्कृति भी विकसित हो।

14. समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ

पहली चुनौती पहुँच और निरंतरता के बीच अंतर है। विद्यार्थी का नामांकन हो जाने के बाद आर्थिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, दूरी, परिवहन, सुरक्षा, भाषा अथवा कमजोर अधिगम-आधार उसकी निरंतरता को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी चुनौती क्षेत्रीय असमानता है। राष्ट्रीय औसत राज्यों, जिलों और सामाजिक समूहों के भीतर मौजूद अंतर को छिपा सकता है। इसलिए स्थानीय स्तर पर सूक्ष्म डेटा का उपयोग आवश्यक है।

तीसरी चुनौती शिक्षक-तैयारी है। समावेशी कक्षा में differentiated instruction, formative assessment, सामाजिक-संवेगात्मक समर्थन, बहुभाषिक रणनीतियाँ और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन की क्षमता चाहिए। शिक्षक को केवल 'विशेष बच्चे' की पहचान करने वाला नहीं, बल्कि सीखने की बाधाओं को कम करने वाला पेशेवर बनाना होगा। चौथी चुनौती भौतिक और डिजिटल सुगम्यता की है। रैम्प, शौचालय, परिवहन, ICT, assistive technology और सुलभ सामग्री का अभाव नीति और अनुभव के बीच दूरी उत्पन्न करता है।

पाँचवीं चुनौती सामाजिक दृष्टिकोण है। जाति, लिंग, दिव्यांगता, भाषा या आर्थिक स्थिति से जुड़े रूढ़ विचार विद्यार्थियों की आत्म-छवि और कक्षा सहभागिता को प्रभावित कर सकते हैं। छठी चुनौती 'समानता' को केवल समान व्यवहार समझ लेना है। कुछ विद्यार्थियों को समान परिणाम की दिशा में बढ़ने के लिए अतिरिक्त शैक्षिक, आर्थिक अथवा मनोसामाजिक समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए समावेशी नीति को लक्षित और सार्वभौमिक दोनों प्रकार के हस्तक्षेपों का संतुलन बनाना होगा।

15. समावेशन से समान अवसर तक: कार्यान्वयन मॉडल

पहचान	पहुँच	सहभागिता	अधिगम	प्रगति
कौन वंचित है?	विद्यालय/HEI तक कैसे पहुँचे?	क्या विद्यार्थी सुरक्षित व सक्रिय है?	क्या सीखने के संसाधन उपयुक्त हैं?	क्या वह अगले स्तर तक बढ़ रहा है?
डेटा व स्थानीय मानचित्रण	छात्रवृत्ति, परिवहन, डिजिटल पहुँच	भेदभाव-मुक्त वातावरण	लचीली शिक्षण-विधि	मेंटोरिंग व करियर समर्थन
विशेष आवश्यकता की पहचान	बाधारहित अवसररचना	भाषायी व सामाजिक समावेशन	सुलभ सामग्री व मूल्यांकन	ड्रॉपआउट रोकथाम
सतत निगरानी → संस्थागत उत्तरदायित्व → सुधारात्मक कार्रवाई → समान अवसर				

चित्र 2. समावेशन से वास्तविक समान अवसर तक पाँच-चरणीय कार्यान्वयन मॉडल (लेखक द्वारा विकसित)।

16. शिक्षक-शिक्षा और समावेशन

NEP 2020 के उद्देश्यों को कक्षा तक पहुँचाने में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। B.Ed. और M.Ed. कार्यक्रमों में समावेशन को केवल एक पृथक सैद्धांतिक इकाई के रूप में पढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। इसे पाठ-योजना, अभ्यास-शिक्षण, मूल्यांकन, शैक्षिक तकनीक, मार्गदर्शन एवं परामर्श, विद्यालय इंटर्नशिप

और एक्शन रिसर्च से जोड़ना चाहिए। प्रशिक्षु शिक्षक को वास्तविक कक्षा में विविधता का अवलोकन, barrier audit, accessible lesson design और विविध शिक्षार्थियों के लिए formative assessment विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए।

शिक्षक की भाषा और अपेक्षाएँ भी समान अवसर को प्रभावित करती हैं। कम उपलब्ध वाले या वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थी के प्रति निम्न अपेक्षा स्वयं एक बाधा बन सकती है। इसलिए शिक्षक-शिक्षा में पूर्वाग्रह-जागरूकता, संवैधानिक मूल्य, लैंगिक संवेदनशीलता, disability etiquette, बाल संरक्षण और सामाजिक-संवैगात्मक अधिगम को व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ शामिल करना आवश्यक है।

17. नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव

डेटा-आधारित स्थानीय योजना — राष्ट्रीय औसत के साथ जिला, ब्लॉक और संस्थान स्तर पर लिंग, सामाजिक समूह, दिव्यांगता, संक्रमण और ड्रॉपआउट संबंधी डेटा का विश्लेषण किया जाए।

सुगम्यता ऑडिट — विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भौतिक, डिजिटल और शैक्षणिक accessibility का नियमित ऑडिट किया जाए।

आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता — छात्रवृत्ति, परिवहन, आवास, उपकरण और डिजिटल सहायता को विद्यार्थियों की वास्तविक बाधाओं से जोड़ा जाए।

समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण — pre-service तथा in-service प्रशिक्षण में UDL, differentiated pedagogy, multilingual teaching, assistive technology और inclusive assessment को अनिवार्य व्यावहारिक घटक बनाया जाए।

मातृभाषा एवं बहुभाषिक संसाधन — प्रारंभिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री और द्विभाषिक संक्रमण संसाधनों का विस्तार किया जाए।

सुरक्षित एवं भेदभाव-मुक्त परिसर — anti-discrimination mechanisms, counselling, grievance redressal और संवेदनशील संस्थागत संस्कृति को मजबूत किया जाए।

डिजिटल समता — उपकरण, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता के साथ accessible content standards सुनिश्चित किए जाएँ।

परिणाम-आधारित निगरानी — सफलता को केवल नामांकन से नहीं, बल्कि उपस्थिति, अधिगम, पूर्णता, उच्चतर संक्रमण और विद्यार्थी कल्याण से मापा जाए।

18. चर्चा

उपलब्ध आधिकारिक आँकड़े यह संकेत देते हैं कि भारत में विद्यालयी और उच्च शिक्षा दोनों में व्यापक भागीदारी बनी है और कई सामाजिक समूहों के नामांकन में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से महिला GER तथा SC/ST महिला नामांकन में वृद्धि समान अवसर की दिशा में सकारात्मक संकेत हैं। फिर भी समावेशन की सफलता को केवल संख्या से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यदि किसी समूह का नामांकन बढ़ता है लेकिन उसकी सीखने की उपलब्धि, पूर्णता, विषय-विकल्प, रोजगार अवसर या संस्थागत अनुभव असमान रहते हैं, तो समता का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

NEP 2020 की शक्ति इसकी व्यापक अवधारणा में है: यह equity और inclusion को शिक्षा के केंद्रीय सिद्धांतों में रखती है, बहुभाषिकता, तकनीक, SEDGs, Gender Inclusion Fund, दिव्यांग विद्यार्थियों की पहुँच और संस्थागत गुणवत्ता को परस्पर जोड़ती है। पर इसकी वास्तविक प्रभावशीलता संघ, राज्य, स्थानीय निकाय और संस्थान स्तर पर संसाधन, क्षमता और उत्तरदायित्व पर निर्भर करेगी। नीति के उद्देश्यों को मापने योग्य स्थानीय संकेतकों में बदलना आवश्यक है ताकि 'किसे अवसर मिला' के साथ 'किसने सीखकर प्रगति की' का उत्तर भी उपलब्ध हो।

समान अवसर का सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण 'सबके लिए समान व्यवस्था' नहीं, बल्कि 'हर शिक्षार्थी के लिए आवश्यक अवसर और समर्थन' है। इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा कल्याणकारी रियायत नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मूल शर्त है। विविधता को समस्या के रूप में देखने के बजाय शिक्षा व्यवस्था की वास्तविकता और संसाधन के रूप में स्वीकार करना NEP 2020 की समावेशी भावना को व्यवहार में बदलने का आधार बन सकता है।

19. निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में समावेशन और समान अवसर को स्पष्ट नीतिगत प्राथमिकता प्रदान की है। नीति का दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, भाषायी, भौगोलिक और दिव्यांगता-संबंधी परिस्थितियाँ विद्यार्थियों के शैक्षिक अवसरों को प्रभावित करती हैं; इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच के साथ लक्षित सहायता भी आवश्यक है। UDISE+ 2023-24 में 24.80 करोड़ से अधिक विद्यालयी नामांकन, लगभग 11.93 करोड़ बालिका नामांकन और 21.14 लाख CWSN विद्यार्थियों की उपस्थिति समावेशन के पैमाने को स्पष्ट करती है। AISHE 2021-22 में कुल GER 28.4 और महिला GER 28.5 तथा SC/ST महिला नामांकन में दीर्घकालिक वृद्धि उच्च शिक्षा में भागीदारी के सकारात्मक संकेत प्रस्तुत करती है।

इसके बावजूद समान अवसर की वास्तविक कसौटी केवल प्रवेश नहीं, बल्कि सहभागिता, सीखने की गुणवत्ता, गरिमा, पूर्णता और आगे की प्रगति है। डिजिटल विभाजन, भौतिक सुगम्यता, क्षेत्रीय असमानता, भाषा, आर्थिक बाधाएँ, शिक्षक-तैयारी और सामाजिक पूर्वाग्रह जैसे मुद्दे अभी भी नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकते हैं। अतः समावेशन को अलग परियोजना के बजाय शिक्षा की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाना होगा। आवश्यकता-आधारित संसाधन वितरण, प्रशिक्षित शिक्षक, बहुभाषिक और सुलभ सामग्री, सुरक्षित परिसर, मजबूत सहायता प्रणालियाँ तथा विश्वसनीय डेटा पर आधारित निगरानी इस दिशा में आवश्यक हैं। इस प्रकार NEP 2020 की समावेशी दृष्टि तभी पूर्ण होगी जब प्रत्येक शिक्षार्थी को केवल शिक्षा-व्यवस्था में स्थान ही नहीं, बल्कि सीखने, आगे बढ़ने और अपनी क्षमता विकसित करने का वास्तविक एवं गरिमापूर्ण अवसर प्राप्त हो।

संदर्भ

- भारत सरकार। (2009)। बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009। शिक्षा मंत्रालय।
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई दिल्ली: भारत सरकार।
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2023)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विशेष रूप से 'जेंडर इन्क्लूजन फंड' (GIF) बनाने का प्रावधान है। नई दिल्ली: भारत सरकार।
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2024a)। UDISE+ रिपोर्ट 2023-24: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढांचा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली।
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2024b)। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2021-22। उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)। (2020)। समान और समावेशी शिक्षा: सभी के लिए सीखना—शिक्षकों के उत्सव (टीचर्स फेस्ट) के लिए पृष्ठभूमि पत्र। नई दिल्ली: NCERT।
- संयुक्त राष्ट्र। (2015)। हमारी दुनिया को बदलना: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा। न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.